



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2010/ज्येष्ठ 17, 1932

No. 153]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2010

फा. सं. एल-7/142/157/2008-केंविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2010 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 4 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) ऐसा विद्युत व्यापारी, जिसे विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का संदाय करेगा :

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग	फीस प्रतिवर्ष (रुपए लाख में)
1	प्रवर्ग-1	30.00
2	प्रवर्ग-2	12.50
3	प्रवर्ग-3	5.00
4	प्रवर्ग-4	2.50

टिप्पण : समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने की और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 के प्रवर्ग 'च' की तस्थानी प्रवर्ग 1 (यदि व्यापार 1500 एमयू से अधिक है), प्रवर्ग 'घ', 'ङ' तथा 'च' की तस्थानी प्रवर्ग 2 (यदि व्यापार 1500 एमयू तक है) प्रवर्ग 'ख' तथा 'ग' की तस्थानी प्रवर्ग 3 तथा प्रवर्ग 'क' की तस्थानी प्रवर्ग 4।

अलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र (असाधारण), संख्या 174, भाग III, खंड 4 में तारीख 17-10-2008 को प्रकाशित किए गए थे तथा संशोधन विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण), संख्या 128, भाग III, खंड 4 में तारीख 24-2-2009 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2010

F. No. L-7/142/157/2008-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2008,

(hereinafter referred to as “the principal regulations”), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2010.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 4.—Clause (3) of Regulation 4 of the principal regulations shall be substituted as under, namely :—

“(3) An electricity trader granted licence for inter-State trading in electricity shall pay fee at the rates specified hereunder :

Sl. No.	Category of Licence	Fees per annum (Rs. in lakh)
1	Category I	30.00
2	Category II	12.50
3	Category III	5.00
4	Category IV	2.50

Note: Category I corresponds to Category ‘F’ (if trading above 1500 MUs), Category II corresponds to Categories ‘D’, ‘E’ and ‘F’ (if trading upto 1500 MUs), and Category III corresponds to Category ‘B’ and ‘C’ and Category IV corresponds to Category ‘A’ of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for Grant of Trading Licence and other related matters) Regulations, 2004 as amended from time to time.

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT III/4/150/10-Exty.]

Note: Principal regulations were published on 17-10-2008 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary), No. 174 and the amendment regulations were published on 24-2-2009 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 128.